उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार

फोन न0 01334–297022, 297028,बेबसाइट www.usvv.ac.in

विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागो/विषयों में योग्य अभ्यर्थियों से असिस्टेन्ट प्रोफेसर, एसो0 प्रोफेसर एवं प्रोफेसर के पदों पर नियुक्तियों हेतु निर्धारित प्रारुप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र, आवेदन शुल्क एवं आवेदन प्रक्रिया, पदों का विवरण एवं संख्या, न्यूनतम शैक्षिक अर्हतायें/योग्यताएं, पे बैन्ड एवं ग्रेड पे, आरक्षण, सामान्य शर्तो एवं सूचनायें विश्वविद्यालय वेबसाइट www.usvv.ac.inसे डाउनलोड किये जा सकते हैं।

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि : 28 जनवरी, 2017

गिरीश कुमार अवस्थी, कुलसचिव

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार

हरिद्वार–दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग, पो0ओ0 बहादराबाद–249402
फोन न0 01334–297022, 297028, वेबसाईटः www.usvv.ac.in

विज्ञापन संख्या 01 /2016 दिनांक 09 दिसम्बर, 2016

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार के द्वारा प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र का प्रारुप उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय की बेवसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है।

अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र समस्त संलग्नकों सहित **कुलसचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग, बी0एच0ई0एल0 मोड़, पो0आ0 बहादराबाद–249402,** हरिद्वार के पते पर केवल **स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक** से निर्धारित अंतिम तिथि **28 जनवरी, 2017 को कार्यालय समय** तक प्राप्त हो जाने चाहिये। उक्त अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को कालबाधित (Time Barred) अंकित कर वापस कर दिया जायेगा। आवेदन वाले लिफाफे के ऊपर पदनाम, विषय जिसके लिये आवेदन किया गया हो, का स्पष्ट रुप से उल्लेख किया जाये।

आवेदन शुल्क

1. अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आवेदन शुल्क रुपये 1000/– एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु रुपये 750 है।
2. आवेदन शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से **'वित्त नियंत्रक' उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम** पर देय होगा।
3. बिना डिमाण्ड ड्राफ्ट के आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
4. आवेदन पत्र के साथ प्रेषित की गई फीस किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी।

रिक्तियों की संख्या : पदवार एवं विषयवार रिक्तियों की संख्या निम्नवत है, पदों की संख्या घट–बढ़ सकती हैः–

1. सहायक प्रोफेसर – 06 पद

क्र0सं0	संकाय का नाम	विभाग का नाम	विषय	रिक्तियों की संख्या	अनु0 जाति	अनु0 ज0जा0	अ0पि0 वर्ग	अनारक्षित
1	वेद वेदांग संकाय	1. ज्योतिष	फलित ज्योतिष	1	1	0	0	0
			वास्तुशास्त्र	1	0	1	0	0
		2. व्याकरण	नव्यव्याकरण	1	1	0	0	0
2	आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय	3. हिन्दी एवं भाषा विज्ञान	भाषा विज्ञान	1	1	0	0	0
		4. योग विज्ञान (व्यावसायिक)	योग	2	1	0	1	0
	कुल योग			**6**	**4**	**1**	**1**	**0**

2. एसोसिएट प्रोफेसर – 08 पद

क्र0सं0	संकाय का नाम	विभाग का नाम	विषय	रिक्तियों की संख्या	अनु0 जाति	अनु0 ज0जा0	अ0पि0 वर्ग	अनारक्षित
1	वेद वेदांग संकाय	1. ज्योतिष	फलित ज्योतिष	2	1	0	0	1
		2. व्याकरण	नव्यव्याकरण	1	0	0	1	0
2	आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय	3. हिन्दी एव भाषा विज्ञान	हिन्दी	1	0	0	0	1
			भाषा विज्ञान	1	1	0	0	0
		4. पत्रकारिता	पत्रकारिता	1	0	0	0	1
		5. योग विज्ञान (व्यावसायिक)	योग	1	1	0	0	0
		6. ग्रन्थालय विज्ञान	पुस्तकालय विज्ञान	1	0	0	0	1
	कुल योग			**8**	**3**	**0**	**1**	**4**

3. प्रोफेसर –5 पद

क्र0सं0	संकाय का नाम	विभाग का नाम	विषय	रिक्तियों की संख्या	अनु0 जाति	अनु0 ज0जा0	अ0पि0 वर्ग	अनारक्षित
1	वेद वेदांग संकाय	1. ज्योतिष	फलित ज्योतिष	1	1	0	0	0
		2. व्याकरण	नव्याकरण	1	1	0	0	0
			प्राचीन व्याकारण	1	0	0	0	1
2	साहित्य संस्कृति संकाय	3. साहित्य	साहित्य	1	0	0	1	0
		4. योग विज्ञान (व्यावसायिक)	योग	1	0	0	0	1
	कुल योग			**5**	**2**	**0**	**1**	**2**

अनिवार्य शैक्षिक अर्हता

1. सहायक प्रोफेसर

पे–बैण्ड – 15,600–39,100 ग्रेड पे– रुपये 6000/–

1. एक अच्छा अकादमिक रिकार्ड, 55 प्रतिशत अंक (अथवा समकक्ष ग्रेड जिसका अनुकरण, किसी भी बिन्दु पैमाने की प्रणाली के लिए हो रहा हो)किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर सापेक्ष विषय के साथ अथवा किसी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से समकक्ष डिग्री।
2. इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी यू0जी0सी0 द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा/उत्तराखण्ड राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो।)

2. सह–प्रोफेसर (एसोसिएट प्रोफेसर)

पे–बैण्ड –रुपये 37,400–67,000 ग्रेड पे–रुपये 9000/–

1. पी–एच.डी. डिग्री में प्राप्त श्रेष्ठ शैक्षणिक रिकार्ड–जो डिग्री सम्बद्ध/समवर्गी/सापेक्ष विषयों में प्राप्त की गई हो।
2. न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री (अथवा किसी ''पाइन्ट स्केल'' के अंतर्गत समस्तरीय ग्रेड हो, जहाँ पर ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा हो।
3. किसी भी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा प्रत्यायित शोध संस्थान/उद्योग में न्यूनतम 8 वर्ष का शिक्षण अथवा शोध का अनुभव हो जो कि सहायक प्रोफेसर के स्तर के समतुल्य हो तथा जो समस्त अनुभव पी–एच.डी. के लिए किए गए शोध के अतिरिक्त हो तथा प्रकाशित रचनाओं के साक्ष्य द्वारा

समर्थित हो तथा न्यूनतम 5 प्रकाषित रचनाएँ जो पुस्तकों एवं /अथवा शोध/विषयगत नीति से जुड़े प्रपत्रों के साथ समर्थित हों।

4. अभ्यर्थी की शैक्षणिक नवोन्मेषी डिजाइन युक्त नूतन पाठ्यक्रम एवं पाठ्य विषयों एवं उसकी प्रौद्योगिकी–माध्य से युक्त शैक्षिक प्रक्रिया का अनुभव हो तथा इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत करें कि उसने शोध छात्रों एवं अभ्यर्थियों का मार्गदर्षन किया है।
5. विष्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्यापकों एवं अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता एवं उच्च शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण के उपाय (द्वितीय संशोधन) विनियम 2013 द्वारा शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए0पी0आई0) में निर्दिष्ट न्यूनतम प्राप्ताकों पर आधारित मूल्याकंन प्रणाली (पी.बी.ए.एस.)।

3. <u>प्रोफेसर</u>

पे–बैण्ड –रुपये 37,400–67,000 ग्रेड पे–रुपये 10000/–

1. एक प्रतिष्ठित विद्वान जिसकी पी–एच.डी. में अर्हता अपने सम्बद्ध/समवर्गी/प्रासंगिक विषय में प्राप्त है, जिनकी प्रकाशित रचना बहुत उत्कृष्ट कोटि की है, जो कि वर्तमान में शोध कार्य में सक्रिय है तथा जिसके प्रकाशित ग्रन्थ का साक्ष्य विद्यमान है तथा न्यूनतम रुप से उनकी कम से कम 10 रचनाएं हो–पुस्तकों एवं/अथवा शोध/एवं विषय से जुड़ी विषयक प्रपत्र हैं।
2. किसी भी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अध्यापन का दस वर्ष का न्यूनतम अनुभव हो अथवा विष्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में/उद्योगों में अनुभव हो, जिसमें पी–एच.डी. स्तर पर कर रहे शोध छात्रों को दिशा निर्देश करने का अनुभव भी सम्मिलित हो।
3. शैक्षिक नवोन्मेष, नूतन पाठ्यक्रम तथा विषयों का विस्तार एवं प्रौद्योगिकी–माध्ययुक्त अध्यापन प्रषिक्षण प्रक्रिया।
4. शैक्षणिक निष्पादन सूचकांक (ए.पी.आई.) में निर्दिष्ट न्यूनतम प्राप्तांकों पर आधारित मूल्यांकन प्रणाली (पी.बी.ए.एस.) के अनुरुप हो।

अथवा

एक उत्कृष्ट व्यावसायिक व्यक्ति, जिसकी अपने सापेक्ष कार्य क्षेत्र में विद्यमान प्रतिष्ठा हो तथा जिसने सम्बद्ध/समवर्गी/सापेक्ष विषय के ज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान किया तथा जिसका प्रमाणीकरण प्रत्यायकों द्वारा किया जाएं।

वांछनीय योग्यता

(क)व्याकरण विषय में प्रोफेसर पद हेतु आवश्यक योग्यता के साथ–साथ वैदिक वाड़मय में निष्णात विद्वान को वरीयता प्रदान की जायेगी।

(ख) हिन्दी/भाषा विज्ञान में प्रोफेसर पद हेतु आवश्यक योग्यता के साथ भाषा विज्ञान एवं अनुवाद विभाग में किसी प्रतिष्ठित सरकारी संस्थान में कम से कम 15 वर्ष का अनुवाद कार्य तथा अनुवाद पुनरीक्षण के अनुभव के साथ हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एम0ए0 की उपाधि स्तरीय पत्रिका सम्पादन अनुभव के साथ–साथ विपुल मात्रा में उच्चस्तरीय सामग्री प्रकाशित करने वाले अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा।

नोट :

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/विभिन्न शारीरिक विकलांगताओं वाली (शारीरिक एवं चाक्षुष तौर से पृथक रुप से विकलांग) श्रेणियों के व्यक्तियों को स्नातक स्तर पर तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 5 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराई जा सकती है।
2. ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पी–एच.डी. यू0जी0सी0 विनियम 2009 के अनुसार है, उनकों नेट/स्लेट/सेट की उन पात्रता से छूट होगी, जो शर्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों/संस्थानों में पदों पर नियुक्तियों/भर्ती के निर्धारित की गई है।
3. ऐसे स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए उन समस्त विषयों में नेट/स्लेट/सेट परीक्षा अनिवार्य नहीं होगी–जिन विषयों में नेट/स्लेट/सेट की प्रत्यायित परीक्षा संचालित नहीं की जाती है।
4. ऐसे पी–एच.डी. धारक जिन्होंने अपनी स्नातकोत्तर डिग्री 19 सितम्बर, 1991 से पूर्व ही प्राप्त कर ली है, उनके अंकों में 5 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराई जा सकती है –55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत।
5. एम0फिल0 अथवा/पी–एच.डी. डिग्री प्राप्त करने के लिए जो समयावधि अभ्यर्थी द्वारा लगायी गयी है, वह समस्त अवधि शैक्षिक पदों पर उनकी नियुक्तियों के लिए अध्यापन/शोध अनुभव के रुप में प्रस्तुत दावे के रुप में पेश नहीं की जा सकती है।

6. संस्कृत का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी।

अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पत्र भरने संबंधी अति महत्वपूर्ण निर्देश

1. विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति हेतु यू0जी0सी0/ए0आई0सी0टी0ई0/एन0सी0टी0ई0 (जैसा लागू हो) तथा इस क्रम में उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी नवीनतम मानकों एवं निर्देशों का पालन किया जायेगा।
2. सभी अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह आवेदन से पूर्व न्यूनतम अर्हता पूर्ण करते हों। पद हेतु आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता सम्बन्धी विस्तृत जानकारी यू0जी0सी0 की वेबसाइट www.ugc.ac.in से प्राप्त की जा सकती है।
3. अभ्यर्थी की योग्यता उसके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर मान्य होगी।
4. एक से अधिक पदों के लिए आवेदन पत्र भेजने के इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रत्येक श्रेणी के पदों के लिए सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र पृथक–पृथक भेजना होगा। किसी भी दशा में एक से अधिक आवेदन पत्र एक लिफाफे में न भेजे। आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक पत्र मजबूती के साथ संलग्न करके प्रेषित करें अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।
5. जो आवेदक पूर्व से ही सरकारी सेवा में हैं, वे अपने आवेदन उचित–माध्यम/अनापत्ति प्रमााण पत्र के साथ भेजें, तथापि आवेदन पत्र की अग्रिम प्रति प्रेषित कर सकते हैं।
6. आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र अस्वीकृत किए जायेंगे। अस्वीकृति के विरुद्ध पुर्नविचार नहीं किया जायेगा।
7. सभी शैक्षणिक पदों हेतु उत्तम शैक्षिक अभिलेख स्नातक उपाधि में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक तथा मास्टर डिग्री में यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0 एवं एन0सी0टी0ई0 के द्वारा निर्धारित पात्रता मानदण्ड के अनुसार उत्तीर्ण की हो। सहायक प्रोफेसर हेतु नेट/स्लेट/सेट अनिवार्य अर्हता है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पी–एच.डी. यू0जी0सी0 विनियम 2009 के अनुसार की है, उनको नेट/स्लेट/सेट की उन पात्रता से छूट होगी।
8. निर्धारित अनिवार्य योग्यताएं न्यूनतम हैं और केवल इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते। आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होने पर विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की छटनी, जांच समिति/स्क्रूटनी द्वारा की जाएगी तथा पदों के सापेक्ष (जितनी संख्या विश्वविद्यालय द्वारा अवधारित होगी) अल्पसूचीबद्ध चयनित अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा।
9. साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर कोई यात्रा/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
10. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों को अनिवार्य शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र मूल रुप से प्रस्तुत करने होंगे।
11. प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियां स्वहस्ताक्षरित होनी चाहिये।
12. ए0पी0आई0 स्कोर की गणना यू0जी0सी0 के नियमानुसार की जायेगी।
13. अन्य प्रलेख यदि आप उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा उत्तराखण्ड महिला या अन्य किसी वर्ग के आरक्षण का दावा करते हैं तो उसके लिए पुनरीक्षित एवं अन्तिम नवीनतम प्रपत्र पर जिस जिले के आप निवासी हो वहां के जिलाधिकारी/अति0 जिलाधीश/सिटी मजिस्ट्रट अथवा तहसीलदार के हस्ताक्षर का प्रमाण दें, तभी आपका दावा मान्य होगा।
14. क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड के नवीन शासनादेशों के अनुसार लागू होगा।
15. आरक्षण का लाभ उत्तराखण्ड के स्थायी/मूल निवासियों को ही मिलेगा।
16. ऐसे अभ्यर्थी पात्र नहीं होगें जिनकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, या महिला जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से पत्नी हो।
17. इस तथ्य की पुष्टि होने पर कि किसी अभ्यर्थी ने प्रतिरुपण (Impersonation) किया है या जानबूझ कर एक या अधिक जाली प्रलेख प्रस्तुत किए हैं अथवा ऐसे प्रलेख दिए है, जिनमें काट पीट कर परिवर्तन किया गया है या जानबूझकर गलत या असत्य विवरण दिया है अथवा महत्वपूर्ण सूचना छिपा ली है या किसी स्तर पर अनुचित साधन का प्रयोग किया है तो वह अभ्यर्थी अपात्र ठहराया जायेगा और उसके ऊपर अभियोग चलाने के अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के अधीनः–

- विश्वविद्यालय द्वारा भर्ती किए जाने वाले किसी पद हेतु आवेदन करने या साक्षात्कार में उपस्थित होने से वंचित किया जा सकता है।

- नियुक्ति से वंचित किया जा सकता है और यदि नियुक्ति हो गई हो तो पदच्युत (Dismiss) किया जा सकता है।

18. यदि अभ्यर्थी को स्नातक/स्नातकोत्तर/एम.फिल./डॉक्टरेट इत्यादि उपाधियों में उसके द्वारा प्राप्त उच्चतम उपाधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित किसी विश्वविद्यालय से प्रदान नही की गई है अथवा उसकी उपाधि के समतुल्य नहीं मानी गई है। ऐसी स्थिति में वह उपाधि विश्वविद्यालय द्वारा साधारणतया मान्य नहीं होगी। उसकी मान्यता पर विश्वविद्यालय द्वारा तभी विचार किया जा सकेगा जबकि अभ्यर्थी संबंधित तथ्य विश्वविद्यालय के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करें।
19. विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताए विज्ञापित पदों में किन्हीं पदों के संबंध में नियुक्ति हेतु संस्तुति न करें/अथवा विज्ञप्ति के निरस्त करने का भी अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।
20. चयन प्रक्रिया में स्कीनिंग टेस्ट/प्रस्तुतिकरण/साक्षात्कार/शिक्षण प्रस्तुतिकरण आदि को शामिल करने के लिए विश्वविद्यालय स्वतंत्र है।
21. चयन समिति की संस्तुति के बाद उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय सम्बन्धित आवेदक के पते को पुलिस सत्यापन एवं प्रमाणपत्रों की जांच कराने के लिए स्वतन्त्र होगा।
22. किसी भी आवेदक के पात्र न पाए जाने पर विश्वविद्यालय सम्बन्धित पद/पदों को रिक्त रख सकता है।
23. विश्वविद्यालय सेवा सम्बन्धी शर्तो/नियमों में किसी भी स्तर पर बदलाव करने में सक्षम है।
24. आवेदक का संस्कृत विश्वविद्यालय की परम्पराओं /मूल्यों में आस्था होना आवश्यक है।
25. यदि आवेदक ने ऐसे विश्वविद्यालय से एम.फिल./शोध उपाधि प्राप्त की है, जिसकी डिग्री में शोध शीर्षक एवं विषय अंकित नहीं होता है तो ऐसे आवेदक को संबंधित विश्वविद्यालय के कुलसचिव से शीर्षक एवं विषय के बारे में प्रमाणपत्र देना होगा।
26. आवेदन मूल रुप में प्रस्तुत किया जाए, उसकी छायाप्रति स्वीकार नहीं की जाएगी।
27. आवेदन पत्र के बाद अलग से प्रेषित किए जाने वाले प्रपत्रों/अभिलेखो को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
28. समस्त संलग्न प्रमाणपत्रों/अभिलेखों को क्रमांक प्रदान करें तथा अंतिम संलग्नक पर क्रमांक सहित आवेदनपत्र के साथ कुल संलग्नकों की संख्या को अवष्य लिखें।
29. प्रत्येक अभ्यर्थी का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए एवं उसे आवश्यकता पड़ने पर संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अभिप्रेत चिकित्सकीय परीक्षण के लिए चिकित्साधिकारी को संतुष्ट करने के लिए तत्पर रहना होगा। ऐसा न करने पर उसका चयन निरस्त किया जा सकता है।
30. किसी भी प्रकार की सिफारिश करने या कराने पर अभ्यर्थी अविलम्ब अपात्र ठहराया जायेगा।

कुलसचिव